

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन)
अधिनियम, 1986

(उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 1986)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) अधिनियम, 1986

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1986]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की गयी और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1986 के रूप में दिनांक 20 सितम्बर, 1986 को उ० प्र० गजट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1974 की निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

2-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1974 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
5 सन् 1975 का
निरसन